न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–06, लखीमपुर–खीरी

उपस्थितः अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा।

दाण्डिक वाद सं०–188/2009

रजि नं०–600188/2009

CNR NO. UPLP01–000687–2009

उ०प्र० राज्य ––––अभियोगी।

बनाम

1–गुड्डू पासी पुत्र फूल सिंह निवासी कस्बा व थाना नीमगांव जिला खीरी।
2–पिंकू उर्फ प्रमोद पुत्र फूल सिंह निवासी कस्बा व थाना नीमगांव जिला खीरी।
3–नीलू पुत्र वीर सिंह निवासी कस्बा व थाना नीमगांव जिला खीरी।

––––अभियुक्तगण।

मु०अ०सं०–1341/2008
धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज
विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम।
थाना–नीमगांव, जिला खीरी।

निर्णय

1– थाना–नीमगांव, जनपद लखीमपुर खीरी में पंजीकृत मु०अ०सं०–1341/2008, अन्तर्गत धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण राजू पासी, गुड्डू पासी, पिंकू उर्फ प्रमोद व नीलू के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

2– संक्षेप में, अभियोजन कथानक एस०ओ० प्रमोद कुमार शुक्ला द्वारा दी गयी जुबानी सूचना के आधार पर इस प्रकार है कि अभियुक्त राजू पासी, गुड्डू पासी, पिंकू उर्फ प्रमोद व नीलू आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है तथा गैंग बदल–बदल कर गिरोह बनाकर अवैध लाभ अर्जित करने हेतु जघन्य अपराध शरीर सम्बन्धी एवं सम्पत्ति सम्बन्धी करते है। इनके द्वारा किये गये अपराध थाना नीमगांव पर पंजीकृत है। इन्होंने कम समय में अधिक अवैध धन अर्जित करने हेतु अपराध किये है। इनके भय एवं आतंक के कारण जनता के लोग इनके विरूद्ध अपराधकी सूचना एवं गवाही देने से कतराते है। इनके कृत्य भा0 दं0 वि0 के अध्या 16, 17 व 22 के अधीन दण्डनीय अपराध किये गये है। इन अपराधियों के इन कृत्यों को कारण जनता में असुरक्षा एवं भय की भावना व्याप्त है। इस कारण राजू पासी, गुड्डू पासी, पिंकू उर्फ प्रमोद व नीलू उपरोक्त के विरूद्ध धारा– 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्रथमदृष्टया अपराध बनता है। इनके विरूद्ध गैंगचार्ट जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित कराया जा चुका है।

3– वादी मुकदमा एस०ओ० प्रमोद कुमार शुक्ला द्वारा दी गयी जुबानी सूचना के आधार पर अभियुक्तगण राजू पासी, गुड्डू पासी, पिंकू उर्फ प्रमोद व नीलू के विरूद्ध दिनांक 28–09–2008 को समय 14.30 बजे, थाना–नीमगांव, जिला खीरी में मु०अ०सं०–1341/2008, धारा–2/3 उ०प्र०

गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसका इन्द्राज थाने की कायमी जी०डी० में विधिनुसार किया गया।

4– विवेचक द्वारा विवेचना की गयी तथा वादी मुकदमा व गवाहान के बयान अंकित किये। विवेचना में आये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण राजू पासी, गुड्डू पासी, पिंकू उर्फ प्रमोद व नीलू के विरूद्ध मु०अ०सं०–1341/2008, धारा–2/3 उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

5– अभियुक्त राजू पासी की पत्रावली आदेश दिनांक 22–11–2010 के माध्यम से पृथक की गयी है। इस प्रकार वर्तमान वाद में मात्र अभियुक्तगण गुड्डू पासी, पिंकू उर्फ प्रमोद व नीलू का विचारण किया जा रहा है।

6– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर) एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण के तर्कों को सुनने के उपरान्त अभियुक्तगण गुड्डू पासी, पिंकू उर्फ प्रमोद व नीलू के विरूद्ध दिनांक 18–09–2013 को धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

7– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू०–1 के रूप में वीरेन्द्र कुमार व पी०डब्लू०–2 के रूप में राम गोपाल को परीक्षित कराया गया।

8– अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में आधारभूत मुकदमा मु०अ०सं०–856/08 से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1, कायमी जी०डी० प्रदर्श क–2, अभियोग पंजीकृत किये जाने हेतु अभियोज स्वीकृति प्रपत्र प्रदर्श क–3, गैंगचार्ट प्रदर्श क–4, प्रथम सूचना रिपोर्ट (मु०अ० सं०–1341/08) प्रदर्श क–5 व आरोप पत्र प्रदर्श क–6 दाखिल किया गया है।

9– अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांक 09–07–2026 को लेखबद्ध किया गया। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक तथा गवाहान के बयानों को गलत कहते हुए अपने विरूद्ध रंजिशन मुकदमा चलने का कथन किया है।

10– अभियुक्त पक्ष को सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया गया, परन्तु अभियुक्त पक्ष की ओर से कोई सफाई साक्ष्य नहीं दिये जाने का पृष्ठांकन आदेश पत्र पर किया गया है।

11– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर) एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

निष्कर्ष

12– अभियुक्तगण पर आरोप है कि दिनांक 28–09–2008 से पूर्व भिन्न–भिन्न तिथि, समय व स्थान पर जनपद खीरी के थाना नीमगांव के अन्तर्गत अभियुक्तगण एक गिरोह बनाकर अनुचित आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित करने के लिये समाज विरोधी क्रियाकलाप आदि अपराध कारित करके जनमानस में भय एवं आतंक पैदा करके भा०दं०वि० के अध्याय 16, 17 व 22 के अधीन अपराध कारित करने के अभ्यस्त है।

13– अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है। अभियुक्तगण ने गैंगचार्ट में वर्णित अपराध कारित कर लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त किया है और आर्थिक, भौतिक तथा दुनियाबी लाभ प्राप्त कर अवैध सम्पत्ति का अर्जन किया है। गिरोह का क्षेत्र में भय व आंतक है, जिस कारण उसके विरूद्ध कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता है। अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को अभियोजन संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाये ।

14– अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को अभियोजन संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण द्वारा वर्णित अपराधों को कर अर्जित अवैध संपत्ति के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण दोषमुक्त किया जाये ।

15– पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) व विद्वान अधिवक्ता बचावपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखने पर प्रस्तुत प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु परीक्षण योग्य है–

(i)– क्या अभियुक्तगण किसी "गैंग" का सदस्य/ सरगना था ?

(ii)– क्या अभियुक्तगण ने गैंग के रूप में उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा–2(ख) में वर्णित समाज विरोधी क्रियाकलाप किया और अभियुक्तगण द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–3 का अपराध कारित किया ?

16– उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1886 की धारा 2 (ख) में ''**गिरोह**'' और धारा 2 (ग) में ''**गिरोहबंद**'' को परिभाषित किया गया है, इसलिये उक्त अधिनियम की धारा–2(ख) और 2(ग) के अनुसार अभियोजन को अपने साक्ष्य से यह साबित करना है कि अभियुक्तगण में से किसी एक अभियुक्तगण ने स्वयं या सभी अभियुक्तों ने सम्मिलित रूप से दुनियावी, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन या अभित्रास या प्रपीड़न द्वारा या अन्य प्रकार से धारा–2 (ख) में वर्णित समाज विरोधी क्रिया कलाप किया है। अभियोजन को यह भी साबित करना है कि अभियुक्तगण किसी गिरोह का सदस्या या सरगना या संगठनकर्ता है या वह गिरोह के क्रियाकलाप के किये जाने के पूर्व या पश्चात् दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता करता है या किसी अभियुक्तगण को जिसने क्रियाकलाप किया है, उसे संश्रय देता है।

17– आपराधिक विधि का मूलभूत सिद्धान्त है कि किसी भी आरोपित व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक कि वह विधि के अन्तर्गत दोषी साबित नहीं हो जाता। अभियोजन पर अपने प्रकरण को साबित करने का प्राथमिक भार होता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हितेन पी.दलाल बनाम ब्रतिन्द्रनाथ बनर्जी, (2001) 6 एस.सी.सी. 16, नरेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम म० प्र० राज्य (2004) 10 एस.सी.सी. 699, रंजीत सिंह ब्रम्हजीत सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2005) 5 एस.सी.सी. 294, एम.एस. नारायन मेनन उर्फ मणी बनाम केरल राज्य और अन्य (2006) 6 एस.सी.सी. 39, राजेश रंजन यादन उर्फ पप्पू यादव बनाम सी.बी.आई. द्वारा निदेशक (2007) 1 एस.सी.सी. 70** के मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है, अपराध जितना गम्भीर होता है, सबूत उतना ही ठोस होना चाहिए। इस प्रकार किसी गंभीर अपराध के मामले में अभियुक्तगण को दोषी ठहराने के लिए उच्च स्तरीय साक्ष्य का होना आवश्यक है जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पंजाब राज्य बनाम बल्देव सिंह (1999) 3 एस.सी.सी. 977, तथा जितेन्द्र बनाम उ०प्र० राज्य (2004) 10 एस.सी. सी. 562** के मामलों में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

18– विधि व्यवस्था–**अकबर बनाम कर्नाटक राज्य, ए.आई.आर. 1979 सुप्रीम कोर्ट 1848 तथा हरेन्द्र सरकार बनाम असम राज्य ए.आई.आर. 2008 सुप्रीम कोर्ट 2467** में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन का यह दायित्व है कि संदेह से परे अपने वाद को सिद्ध करे तथा अभियोजन द्वारा इस गुणवत्ता का साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए कि न्यायाधीश एक सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति की तरह यदि विचार करें तो उपलब्ध साक्ष्य से प्रत्येक परिस्थिति में यह सिद्ध हो कि अभियुक्तगण द्वारा ही अपराध कारित किया गया है, उसके दिमाग में कोई संशय उत्पन्न न हो।

19– विधि व्यवस्था **उ०प्र० राज्य बनाम फूल मियां, 1998(1)जे०आई०सी० 792** में भी माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि ''सम्बद्ध व्यक्ति के सम्बन्ध में उसके

द्वारा किये गये कृत्यों को ठोस साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए कि उसने वास्तविक रूप से वह कृत्य किये हैं, जिसका परिवाद किया गया है।''

20– गैंगचार्ट के अनुसार, अभियुक्तगण गुड्डू पासी, पिंकू उर्फ प्रमोद व नीलू के विरूद्ध मु०अ०सं०–1259/08 धारा–379,411 भा०दं०सं० व धारा– 3 लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम तथा मु०अ०सं०–856/08 धारा–379 भा०दं०सं० थाना नीमगांव, जिला लखीमपुर खीरी में पंजीकृत हैं।

21– **साक्षी पी०डब्लू०–1 वीरेन्द्र कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान दिनांक 09–01–2019 में कथन किया है कि, "दिनांक 01–06–08 को मैं बेहजम स्थित नलकूप संख्या–25 पर मैं नलकूप चालक के पद पर था। दिनांक 02–06–08 को सबेरे जब मैं नलकूप पर गया, तो नलकूप के ताले टूटे हुए थे। मेन स्वीच सात मीटर केबिल अज्ञात चोरो द्वारा चुरा लिया गया था। चोरो द्वारा चोरी 01–06–08 की रात में की गयी थी। इसी रात चोरो द्वारा नलकूप सं०–3 भूलनपुर के भी मेन स्वीच व सात मीटर केबिल तार को अज्ञात लोगो द्वारा चुराया गया था। घटना की रिपोर्ट थाना नीमगांव में लिखाया गया था। एफ०आई०आर० पर प्रदर्श क–1 डाला गया।"

22– **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "घटना के समय मैं पिपरी कला में था। घटना का दिनांक याद नहीं है। घटना के समय जब गया, तो नलकूप का ताला टूटा व दरवाजा खुला मिला था। उस समय मैं अकेला था। मैं सुबह 08.00 बजे गया था। केबिल मेन स्वीच गायब था। मैं रिपोर्ट लिखाने उसी दिन थाने गया था। घटना की रिपोर्ट स्वयं लिखायी थी। मैं प्रमोद उर्फ पिंकू व गुड्डू को नहीं जानता था। मैंने रिपोर्ट अज्ञात में लिखायी थी। मैं उस समय बेहजम ग्रुप के पिपरी कला में था, मैं सुबह घटनास्थल पर खुद गया था। उस दिन नलकूप की जाभी दो थी। एक काश्तकार के पास एक मेरे पास थी। ताला मुझे टूटा हुआ मिला था। प्रमोद व गुड्डू को मैं पहले से नहीं जानता था। केबिल लगभग 10–12 मीटर की चोरी हुई थी। मुझे यह नहीं मालूम है कि केबल इन्होंने ही चोरी किया है। मैं इनको जानता भी नहीं हूं। घटना की रिपोर्ट मैं स्वयं लिखवाया था। बेहजम से पिपरीकला की दूरी 7 किमी0 है। मैं बेहजम जब पहुंचा तो केबल गायब थी।"

23– साक्षी पी०डब्लू०–1 वीरेन्द्र कुमार के मुख्य परीक्षा बयान के अनुसार, नलकूप संख्या–25 जहां वह नलकूप चालक था, पर दिनांक 02–06–08 को सबेरे जब वह गया, तो नलकूप के ताले टूटे हुए थे तथा मेन स्वीच, सात मीटर केबिल अज्ञात चोरो द्वारा चुरा लिया गया था। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "मैं प्रमोद उर्फ पिंकू व गुड्डू को नहीं जानता था। मैंने रिपोर्ट अज्ञात में लिखायी थी। मुझे यह नहीं मालूम है कि केबल इन्होंने ही चोरी किया है। मैं इनको जानता भी नहीं हूं।" यहां उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी ने अपने बयानों में कथिक आधारभूत घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता से इंकार करते हुए कथन किया है कि वह अभियुक्तगण प्रमोद उर्फ पिंकू व गुड्डू को जानता नहीं है और न ही उसे इस बात की जानकारी है कि केबल अभियुक्तगण ने ही चुराया हो। उक्त साक्षी द्वारा अपने बयानों में अभियुक्त नीलू की संलिप्तता के बारे में कोई कथन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसने रिपोर्ट अज्ञात में दर्जा करायी थी। इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी के साक्ष्य में ऐसा कोई विशिष्ट कथन नहीं आया है, जिससे कथित आधारभूत घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता आदि पर कोई प्रकाश पड़ता हो।

24– **साक्षी पी०डब्लू०–2 राम गोपाल** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान दिनांक 09–01–2019 में कथन किया है कि, "दिनांक 01–06–08 को मैं नलकूप सं०–3 बेहजम ग्रुप भूलनपुर में नलकूप चालक के पद पर तैनात था। रात में किसी समय कुछ अज्ञात चोर नलकूप से मेंन स्वीच व सात मीटर केबिल चोरी करके ले गये थे। उसी रात नलकूप सं०–25 बी०जी० पिपरीकला से भी मेन स्वीच व 7 मीटर केबिल चोरी हुए थे। उस नलकूप पर वीरेन्द्र कुमार शुक्ला नलकूप चालक थे। जब हम लोग सबेरे नलकूप गये, तब नलकूप का ताला टूटने पर चोरी की जानकारी हुई थी। नलकूप के ताला टूटे हुए थे।"

25– प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "घटना दिनांक 31 सन् 2008 की है। घटना के समय मैं अपने घर पर था। जब मैं सुबह 08.00 बजे ड्यूटी पर गया, तो वहां पर ताला टूटा व

दरवाजा खुला था। ताला वहां पर नहीं मिला था। पहले मैं अपने कार्यालय लखीमपुर आया, अपने विभाग में जेई साहब को मौखिक रूप से दिया, फिर थाना नीमगांव गया था। चाभी मेरे पास थी, तो मैने देखा ताला टूटा पड़ा था। मैं अभियुक्तगण प्रमोद व गुड्डू को न पहले जानता था न अब जानता हूं। इन लोगो को चोरी करते हुए नहीं देखा था। अज्ञात में रिपोर्ट लिखायी थी। केबिल लगभग 7 मीटर चोरी हुई थी। इन लोगो से कोई केबिल व स्वीच बरामद नहीं हुआ था। इनके गैंग के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इनकी सम्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है।"

26– साक्षी पी०डब्लू०–2 राम गोपाल के मुख्य परीक्षा बयान के अनुसार, वह नलकूप सं०–3 बेहजम ग्रुप भूलनपुर में नलकूप चालक के पद पर तैनात था। रात में किसी समय कुछ अज्ञात चोर नलकूप से मेंन स्वीच व सात मीटर केबिल चोरी करके ले गये थे तथा उसी रात नलकूप सं०–25 बी०जी० पिपरीकला से भी मेन स्वीच व 7 मीटर केबिल चोरी हुए थे। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "घटना के समय मैं अपने घर पर था। जब मैं सुबह 08.00 बजे ड्यूटी पर गया, तो वहां पर ताला टूटा व दरवाजा खुला था। मैं अभियुक्तगण प्रमोद व गुड्डू को न पहले जानता था न अब जानता हूं। इन लोगो को चोरी करते हुए नहीं देखा था। अज्ञात में रिपोर्ट लिखायी थी। यहां उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, अपितु घर पर था। आगे इस साक्षी ने अपने बयानों में कथिक आधारभूत घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता से इंकार करते हुए कथन किया है कि वह अभियुक्तगण प्रमोद उर्फ पिंकू व गुड्डू को न पहले जानता था और न अब जानता है तथा उसने इन लोगो को चोरी करते हुए नहीं देखा है। उक्त साक्षी द्वारा अपने बयानों में अभियुक्त नीलू की संलिप्तता के बारे में कोई कथन नहीं किया गया है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा बयान में यह भी कथन किया है कि, "इनके गैंग के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इनकी सम्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है।" यहां महत्वपूर्ण है कि उक्त साक्षी द्वारा अभियुक्तगण का कोई गैंग आदि रहा हो अथवा उनकी अवैध सम्पत्ति आदि कोई हो, इन तथ्यों की जानकारी होने से इंकार किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के साक्ष्य से कथित आधारभूत घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता तथा उनका कोई गैंग आदि रहा हो अथवा उनके द्वारा अनुचित रूप से कोई अवैध सम्पत्ति आदि अर्जित की हो, पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है।

27– **Vinod Bihari Lal v. State of U.P., 2025 SCC Online SC 1216,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि गैंगचार्ट और स्वीकृति मात्र औपचारिक "rubber stamp" नहीं हो सकती, सक्षम प्राधिकारी को स्वतंत्र रूप से सामग्री पर विचार करना आवश्यक है।

28– **Vinay Kumar Gupta V. State of U.P., (Neutral Citation No.–2025 : AHC : 79679 (Application u/s 482 No.–20422 of 2024) and Kamalveer Singh V. State of U.P., (Neutral Citation No.–2025 : AHC : 87524–DB (Criminal Misc. Writ petition No.–16327 of 2024)** में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गैंगचार्ट में दर्शाये गये आधारभूत मुकदमों की स्थिति, आरोप पत्र, लम्बित कार्यवाही और प्रासंगिक सामग्री स्पष्ट होने चाहिये; गैंगस्टर एक्ट का प्रयोग यांत्रिक ढंग से नहीं किया जा सकता।

29– ये भी विधिक स्थिति है कि यदि आधारभूत मुकदमों का साक्ष्य ही अभियुक्तगण को समाज/ विरोधी गिरोह गतिविधि से नहीं जोड़ता, तो मात्र गैंगचार्ट या पुलिस राय के आधार पर दोषसिद्धि सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने ऐसे मामलों में प्रेक्षित किया है कि गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही आधारभूत आपराधिक सामग्री से पृथक होकर शून्य में खड़ी नहीं रह सकती **(maxim–*Sublato Fundamento, cadit opus*) (Ramesh Kumar V. State of U.P., Application u/s 482 No.–358 of 2024)।**

30– अभियोजन की ओर से गैंगचार्ट में वर्णित अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी वादी अथवा पीड़ित साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है और न की किसी स्वतंत्र साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जिससे अभियुक्तगण की कथित घटनाक्रम में संलिप्तता के सम्बन्ध में कोई प्रकाश पड़ता हो।

31– गैंगस्टर अधिनियम का उद्देश्य किसी व्यक्ति को मात्र अभियोगित (accused) होने के आधार पर दण्डित करना नहीं है, अपितु ये सिद्ध करना है कि वह व्यक्ति किसी "गैंग" का सदस्य/ लीडर है, संगठित एवं निरन्तर आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है तथा आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु अपराध कर रहा है। अभियोजन ऐसा कोई भी स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं रहा है, जिससे मूलभूत तथ्य साबित होते हो।

32– न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से ऐसा कोई स्वतंत्र जनसाक्षी, सम्भ्रान्त व्यक्ति या पीड़ित प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे ये सिद्ध हो सके कि अभियुक्तगण के गिरोह से समाज में वास्तविक भय अथवा आतंक था। इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि परीक्षित साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और न ही उससे अभियोजन अपने समर्थन में कोई तथ्य निकलवा पाने में सफल रहा है। अतः अभियोजन युक्ति–युक्त संदेह से परे यह सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है कि अभियुक्तगण किसी "गैंग" के सदस्य/ सरगना रहे हो तथा उसने संगठित गैंग के रूप में धारा–2(ख) में वर्णित समाज–विरोधी क्रियाकलाप किया हो। तद्नुसार उक्त बिन्दु अवधारित किया जाता है।

33– इस प्रकार उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचना तथा उपर्युक्त विधिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। अतः अभियुक्तगण गुड्डू पासी, पिंकू उर्फ प्रमोद व नीलू पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–2/3 उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

34– अभियुक्तगण गुड्डू पासी, पिंकू उर्फ प्रमोद व नीलू को दाण्डिक वाद सं०–188/2009, मु०अ०सं०–1341/2008, थाना–नीमगांव, जिला लखीमपुर खीरी में आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–2/3 उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

35– अभियुक्तगण जमानत पर है। उनके जमानत प्रपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उनके प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

36– अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–481 के तहत मु० 50,000–50,000/–(पचास–पचास हजार) रूपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की एक–एक विश्वसनीय प्रतिभू इस निर्णय की तिथि के 07 दिवस के अन्दर, इस न्यायालय में इस बाबत दाखिल करें कि उन्हें जब कभी इस न्यायालय द्वारा या अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किया जायेगा, तब वे इस न्यायालय में या अन्यथा निर्देशित न्यायालय में उपस्थित होंगे।

दिनांकः 27–07–2026

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–6/
विशेष न्यायाधीश (यू०पी० गैगेस्टर एक्ट)
लखीमपुर–खीरी।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 1561

उक्त निर्णय/ आदेश आज स्वयं मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 27–07–2026

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–6/
विशेष न्यायाधीश (यू०पी० गैगेस्टर एक्ट)
लखीमपुर–खीरी।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 1561

Digitally signed by ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.07.27 17:23:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court